उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

4543. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 से 31 जुलाई, 1988 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं से एल. पी. जी. के डीलरों के विरुद्ध सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से कितनी शिकायतों को सही पाया गया ; और

(ख) इन शिकायतों के आधार पर डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में एल पी. जी. के वितरकों के बारे में तीन तेल विपणन कम्पनियों को कुल 8,598 शिकायतें प्राप्त हुई इन शिकायतों की जांच करवायी गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा दोषी वितरकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई । इन जांचों के आधार पर 128 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किए गए, 23 मामलों में सतर्कता बरतने के लिए पत्र जारी किए गए तथा दो वितरण केन्द्र समाप्त कर दिये गये ।

Settlement of the issue relating to trade Commission

4544. PROF. C. LAKSHMANNA :
DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI :
SHRI DAYANAND SAHAY :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that trade commission in the DPCO, 1987 was announced without the approval of the Cabinet and without any study;

(b) whether it is also a fact that efforts were made to hand over the issue to Kelkar Committee which refused to accept the same;

(c) whether it is also a fact that the issue has now been referred to an economic organisation;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) What are the reasons for not referring the issue to the cost experts in the BICP or in the Ministry of Finance; and

(f) whether it is also a fact that while settling the issue of trade commission, discount aspect was altogether ignored ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) The DPCO, 1987 was announced with the approval of the competent authority on the basis of the recommendations of the Ministry of Health & Family in regard to Category I drugs and recommendations of the Kelkar Committee in regard to Category II drugs.

(b) to (e) The Kelkar Committee has been requested to examine the trade Margin issue.

(f) While taking a decision on trade margin Government has taken into account all relevant factors.